

जरिये ई-मेल
कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था./2025/29

दिनांक : 16.05.2026

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2026/24 दिनांक 01.05.2026 के अनुसार दिनांक 17.05.2026 के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्री आदित्य वशिष्ठ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी की तथा दिनांक 31.05.2026 को श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा, जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 17.05.2026 को श्रीमति वृष्टि विज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-3, बून्दी की तथा दिनांक 31.05.2026 को श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी की उक्त राजपत्रित अवकाशों में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु ड्यूटी लगाई जाती है। शेष रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पूर्ववत रहेगा।

उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यों के लिये समस्त बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये सुश्री अल्का मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी(राज.) की ड्यूटी लगाई जाती है।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

दिनांक : 16-5-26

क्रमांक : सामान्य/2026/1009-102)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.....
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


16-5-26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)